पत्र संख्या–2/स्था0 (पेन0 विविध) (2) 03/2025 –3312/

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

अजय प्रकाश,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,

पशुपालन/मत्स्य/गव्य, बिहार, पटना।

सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार।

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।

सभी उप मत्स्य निदेशक, बिहार।

उप मत्स्य निदेशक (मु0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

सभी क्षेत्रीय निदेशक (गव्य), बिहार।

संयुक्त निदेशक (गव्य), गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।

विभागीय पत्रांक 480, दि0– 30.01.2025, 1353, दि0– 20.03.2025, 1600, दि0– 04.04.2025, 1779, दि0– 16.04.2025, 2010, दि0– 05.05.2025, 2439, दि0– 03.06.2025, 2840, दि0– 25.06.2025, 2670, दि0– 17.06.2025, 2879, दि0– 27.06.2025, 3064, दि0– 09.07.2025, 3129, दि0 11.07.2025

पटना– 15, दिनांक– 23/7/2025

विषयः– **बिहार पशु चिकित्सा सेवा/मत्स्य सेवा/गव्य सेवा के समूह–क एवं ख पदाधिकारियों / कर्मियों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन SPARROW system के तहत किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा/मत्स्य सेवा/गव्य सेवा के समूह–क एवं ख के कई पदाधिकारी/कर्मी अभी तक SPARROW Portal पर Registered नहीं हुए हैं, साथ ही उपरोक्त सेवा के कई निबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा स्व–अभिलेखन (self appraisal) अभिलेखित कर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Foward नहीं किया गया है।

विदित हो कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों का SPARROW system के तहत कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन के संबंध में V.C. के माध्यम से दिनांक 02.07.2025 को अपराहन 6.00 बजे आयोजित बैठक में निर्गत दिशानिर्देश विभागीय ज्ञापांक 3139, दिनांक 11.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा परिचारित किया गया है।

उक्त बैठक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में SPARROW system के तहत e-PAR आलेखन हेतु राज्य सेवा संवर्ग के ग्रुप–क एवं ख श्रेणी के सभी प्रतिवेदित पदाधिकारी को 31 जुलाई, 2025 तक अपना स्व–मूल्यांकन प्रतिवेदन (self appraisal Report) Online आलेखित कर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Foward करना सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश निर्गत है। साथ ही दिनांक–31 जुलाई, 2025 तक अपना

स्व–मूल्यांकन प्रतिवेदन (self appraisal Report) Online आलेखित कर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Foward नहीं करने वाले प्रतिवेदित पदाधिकारियों का एक वेतन वृद्धि पर संबंधित विभाग द्वारा रोक लगाये जाने संबंधी दिशानिर्देश भी निर्गत है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त जारी दिशानिर्देश का अनुपालन ससमय कराना सुनिश्चित किया जाय। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में समस्त जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

**अनुलग्नकः– यथोक्त।**

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव।

**मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों का SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के तहत कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन के संबंध में Video Conferencing के माध्यम से दिनांक–02.07.2025 को अपराह्न 6.00 बजे आयोजित बैठक की कार्यवाही।**

---

(1) मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों का SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के तहत कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन के संबंध में Video Conferencing के माध्यम से दिनांक–02.07.2025 को अपराह्न 6.00 बजे बैठक आहूत की गई।

(2) समीक्षा बैठक के प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा SPARROW System के तहत कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन के संबंध में अबतक हुई प्रगति एवं लंबित मामलों की स्थिति से मुख्य सचिव, बिहार को अवगत कराया गया।

(3) मुख्य सचिव, बिहार द्वारा समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिए गए :–

(i) सभी विभागों के नियंत्रणाधीन ग्रुप–A एवं ग्रुप–B श्रेणी के पदाधिकारियों का SPARROW System के तहत e-PAR आलेखन हेतु PAR Generation संबंधी कार्रवाई अनिवार्य रूप से 15 जुलाई, 2025 तक पूरी कर ली जाय।

(ii) वित्तीय वर्ष 2024–25 में SPARROW System के तहत e-PAR आलेखन हेतु राज्य सेवा संवर्ग के ग्रुप–A एवं ग्रुप–B श्रेणी के सभी प्रतिवेदित पदाधिकारी 31 जुलाई, 2025 तक अपना स्व–मूल्यांकन प्रतिवेदन (Self Appraisal Report) Online आलेखित कर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Forward करना सुनिश्चित करेंगे। 31 जुलाई, 2025 के बाद संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवेदित पदाधिकारी के e-mail ID पर भेजे गये PAR को अगले प्राधिकार के पास force forward कर दिया जायेगा।

(iii) 31 जुलाई, 2025 तक अपना स्व–मूल्यांकन प्रतिवेदन (Self Appraisal Report) Online आलेखित कर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Forward नहीं करने वाले प्रतिवेदित पदाधिकारियों का एक वेतन वृद्धि पर संबंधित विभाग द्वारा रोक लगा दिया जायेगा।

ह0/–

**(अमृत लाल मीणा)**

मुख्य सचिव, बिहार

1338

ज्ञापांक–सी0आर0को0–110/2022–सा0प्र0 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष (संसदीय कार्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, विधि विभाग एवं खेल विभाग को छोड़कर)/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सी0आर0को0–110/2022–सा0प्र0 /पटना, दिनांक– /

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–15 एवं 17, सामान्य प्रशासन विभाग/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–09, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सी0आर0को0–110/2022–सा0प्र0 12396 /पटना, दिनांक– 08.7./2025

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्पैरो पी0एम0यू0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं संबंधित को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

07/07.2025

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञाप संख्याः– 2/ स्था0 (पेन0 विविध) (2) 03/2025–3129/पटना–15, दिनांक– 11/7/25

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास, निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

11/07/25

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्याः– 2 /स्था0 (पेन0 विविध) (2) 03/2025–3129/पटना–15, दिनांक– 11/7/25

प्रतिलिपिः– विभागीय प्रशाखा–01 एवं 03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

11/07/25

सरकार के अवर सचिव।

(8)